भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3165
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

लाडली योजना

3165. श्री मती संध्या रायः

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में लाडली योजना के माध्यम से देश भर में राज्य-वार और जिला-वार कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं;
(ख) वन स्टॉप सेन्टर के माध्यम से किस प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;
(ग) क्या सरकार का भिण्ड जिले में उक्त केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) लाडली योजना न तो केन्द्र प्रायोजित योजना है और न ही केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह राज्य द्वारा संचालित योजना है। अतः इस योजना के संबंध में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में लागू की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं और निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर तनावग्रस्त महिलाओं को एक ही जगह एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है। यह चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श जैसी आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अनुमोदित और कार्यात्मक है,

(घ) सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो।

समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में सहायता करती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता, समग्र और समावेशी पाठ्यक्रम, सीखने के परिणामों को बढ़ाने, सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटने एवं शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता तथा समावेश सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना बारहवीं कक्षा तक लड़कियों के लिए आवासीय स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करके स्कूली शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटने का प्रयास करती है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों की 10-18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को शामिल किया जाता है।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लैंगिक संतुलन में सुधार हेतु लड़कियों को एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कक्षा IX से कक्षा XII तक मेधावी लड़कियों को लक्षित करता है और इसमें छात्र-अभिभावक परामर्श, करियर परामर्श, अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता कक्षाएं, टिंकरिंग गतिविधियां, विशेष व्याख्यान, वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विज्ञान शिविरों और कार्यशालाओं का दौरा शामिल है।

*****